

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता तौलन पुत्र राजाराम निवासी बीमापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 318 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र गौड़ पुत्र छिद्रधारी निवासी रैंधरपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 114 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1497 द्वारा मारपीट में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल – पीआरवी 1497 को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रांतर्गत सर्ईचापार से इवेन्ट संख्या 10212 से कालर ने जान से मारने के

प्रयास के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 07 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर दोनो पक्षों के घायल व्यक्तियों को जरिये एम्बुलेंस सीएचसी में हदावल भेजवाया गया तथा बाद ईलाज दोनों पक्षों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना जाने को बताया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी जमालुद्दीन, हो0चा0 राहिताश पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 157 वाहनो से 132500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 157 वाहनो से 132500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।